RA→RI u- 11383444IN

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

PBR/ पुनर्स्थापन/धार/भू.रा/2017/3593

राधेश्याम पिता श्री किसन जाति रघुवंशी व अन्य 1
निवासी – ग्राम भोण्डीया तहसील व जिला धार – प्रार्थीगण

विरूद्ध

भेरूसिंह पिता देवाजी जाति भील व अन्य 1
निवासी – ग्राम भोण्डीया तहसील व जिला धार – प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता
(मूल प्रकरण के रेस्टोरेशन बाबद)

प्रार्थीगण तर्फे निवेदन है कि :–

1– यह कि, प्रार्थीगण द्वारा एक रिविजन क्र. पी.बी.आर. निगरानी / धार / भू.रा. / 2017 / 2969 राधेश्याम विरूद्ध भेरूसिंह प्रस्तुत की गई थी जिसकी सुनवाई दिनांक 19.09.2017 नियत थी। परन्तु चूंकि उक्त दिनांक को सर्वपित्र अमावस्या श्राद्ध का दिन होने से प्रार्थीगणों तर्फे अभिभाषक नरेन्द्र मेहता के यहां श्राद्ध का प्रोग्राम होने से श्री मेहता मामले में उपस्थित नहीं हो सके थे इस कारण से मामले को मूल प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त फर्माया गया है। प्रार्थीगणों का यह भी निवेदन है कि, उक्त दिनांक को प्रार्थीगणों की हाजरी आवश्यक नहीं थी।

2– यह कि, इस प्रकार अनुपस्थिति में प्रार्थीगण अभिभाषक की कोई दुर्भावना नहीं होकर योग्य एवं पर्याप्त कारण होने से प्रार्थीगण के अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके थे।

3– यह कि, प्रकरण अभी प्रारंभिक अवस्था में होकर प्रतिप्रार्थी को नोटिस न हुए होकर रेकार्ड एवं नोटिस के लिये नियत है अतः प्रतिप्रार्थी को भी प्रिज्युडीस होने की कोई संभावना नहीं है।

4– यह कि, दिनांक 19.09.2017 को चूंकि प्रार्थीगण अभिभाषक के घर में श्राद्ध का प्रोग्राम था इसलिये वह उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं हुए तथा दिनांक 20.09.2017 को मामले की माहिती लेने पहुंचे थे उन्हें

अविरत....

मामले में मूल प्रकरण के निरस्त होने की जानकारी मिली, प्रकरण अविलम्ब पुर्नस्थापना का आवेदन प्रस्तुत किया गया होकर समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत है।

5— यह कि, अनुपस्थिति के तकनीकी आधार पर प्रकरण निरस्त होने से प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण हक स्वत्व अधिकार प्रभावित होकर उन्हें गंभीर अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण न्याय से वंचित रह जायेंगे एवं प्रकरण का न्यायिक निराकरण नहीं हो सकेगा।

6— यह कि, इस आवेदन के समर्थन में प्रार्थीगण अभिभाषक श्री नरेन्द्र मेहता का शपथ—पत्र संलग्न है।

अतः न्यायहित में निवेदन है कि, आवेदन—पत्र स्वीकार किया जाकर, मूल रिविजन क्र. पी.बी.आर. निगरानी/धार/भू.रा./2017/2969 राधेश्याम विरूद्ध भेरूसिंह में पारित आदेश दिनांक 19/09/2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने की कृपा होवे जिससे कि प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण हो सके।

इन्दौर,
दिनांक – 25/9/17

प्रस्तुतकर्ता

प्रार्थीगण तर्फे अभिभाषक

9770184125

PBR/पुनर्स्थापन/ग्वा/म.प्र./2017/3593

24.10.2017

आवेदकगण की ओर से श्री राम सिंह ठाकुर अभिभावक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

03-Oct-17, 12:12 PM